भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1886

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

उपचारित कोयला खदान जल का उपयोग

1886. श्री बसवराज बोम्मई:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीने, सिंचाई और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उपचारित कोयला खदान जल के सतत और सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु लागू नीतियां और दिशानिर्देश क्या हैं;

(ख) पीने के प्रयोजनों के लिए आपूर्ति किए जाने वाले उपचारित कोयला खदान जल की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने हेतु अपनाए जा रहे गुणवत्ता नियंत्रण उपाय क्या हैं;

(ग) क्या सभी खनन राज्यों में खदान जल प्रबंधन पहलों का विस्तार करने हेतु कोई राष्ट्रीय स्तर की रूपरेखा विकसित की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : कोयला मंत्रालय, अपने कोयला और लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) अर्थात कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के माध्यम से संबंधित पर्यावरण और जल संरक्षण दिशानिर्देशों के अनुरूप पीने, सिंचाई और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए शोधित खान जल के उपयोग को बढ़ावा देता रहा है। लाभप्रद उपयोग के लिए शोधित खान जल की गुणवत्ता पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) द्वारा जारी निर्देशों द्वारा दिशा-निर्देशित होती है। इसके अतिरिक्त, कोयला/लिग्नाइट

पीएसयू ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए शोधित खान जल के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अपनी मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार की हैं।

(ख) : यह सुनिश्चित करने के लिए कि पेयजल प्रयोजनों के लिए आपूर्ति किया गया शोधित खान जल स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों को पूरा करे, विभिन्न गुणवत्ता नियंत्रण उपाय किए जाते हैं, जिनमें भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस आईएस 10500:2012), केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) और किसी अन्य प्रयोज्य मानकों के माध्यम से निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रत्यायित प्रयोगशालाओं द्वारा शोधित खान जल का आवधिक परीक्षण किया जाना शामिल है। आपूर्ति से पहले अवसादन, निस्पंदन और कीटाणुशोधन जैसी पर्याप्त शोधन प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं।

(ग) और (घ) : सभी कोयला और लिग्नाइट खनन राज्यों में खान जल प्रबंधन पहलों का विस्तार करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कोयला/लिग्नाइट पीएसयू ने घरेलू, सिंचाई और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए अधिशेष खान जल के लाभप्रद उपयोग के लिए परियोजनाएं शुरू की हैं।

*****